निर्णय

दिनांक :-

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल जालोडा के राजस्व ग्राम लक्ष्मीनगर में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों का खेत खसरा नम्बर 358/3 रकबा 6.0541 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में आई हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 के बीच आपसी सहमति से हो चुका बहामी बंटवाड़ा अनुसार वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जा काश्त भूमि में से 5/187 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 152/1309 हिस्सा, प्रतिवादीसंख्या 2 ता 5 का 4/7 हिस्सा, प्रतिवादीसंख्या 6 ता 9 का 4/28 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 का 7/49 हिस्सा भूमि में कब्जाकाश्त है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर तहसील लोहावट के पटवार मण्डल जालोडा के राजस्व ग्राम लक्ष्मीनगर में खेत खसरा नम्बर 358/3 रकबा 6.0541 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई तहसीलदार लोहावट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादी को कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार लोहावट द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

तहसीलदार लोहावट द्वारा राजस्व तहसील लोहावट के पटवार मण्डल जालोडा के राजस्व ग्राम लक्ष्मीनगर में खेत खसरा नम्बर 358/3 रकबा 6.0541 हैक्टेयर किस्म बारानी-3 भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	सर्फी मोहम्मद मेहर पुत्र इलमदीन जाति मुसलमान निवासी मोहरसर धारबागा पुरान तहसील देचू	लक्ष्मीनगर	358/3	0.1619 हैक्टेयर	बी-3
2	अख्री मोहम्मद पुत्र गाजीखां 3515/2344 अयुब पुत्र आमदीन 12973/610681 अलारख पुत्र गाजीखां 12973/88383 इलियास उर्फ इलमदीन पुत्र गाजीखां 12973/88383	लक्ष्मीनगर	358/3 358/3	5.8113 हैक्टेयर 0.0809 हैक्टेयर	बी-2 गै.मु. रास्ता

Scanned with CamScanner